

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 61/2020/(2020/00061) जिला-अजमेर

1. भागचन्द ओझा पुत्र पुखराज ओझा (मृतक) जरिये वारिसान :-
1/1 श्रीमती राजेश कुमारी पत्नी स्व. श्री भागचन्द ओझा
1/2 श्री पवन ओझा पुत्र स्व. श्री भागचन्द ओझा
1/3 श्री विनोद ओझा पुत्र स्व. श्री भागचन्द ओझा
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी छोटी बस्ती, तहसील पुष्कर जिला अजमेर
1/4 श्रीमती संगीता शर्मा पुत्री स्व. श्री भागचन्द ओझा पत्नी श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
समस्त जरिये मुख्तारआम राहुल यादव पुत्र श्री मल्हार सिंह यादव, जाति यादव, निवासी पंचशील नगर, तहसील व जिला अजमेर।

-----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर जिला अजमेर।
3. जिला कलक्टर अजमेर।

-----प्रत्यर्थीगण



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956,
राजस्व विरुद्ध आंवटन आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/50 व 51/86/187
दिनांक 22.10.1986 द्वारा जिला कलक्टर अजमेर

- उपस्थित-
1. श्री मोहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलार्थीगण
 2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अधिवक्ता-अभि0 प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक:- 05-10-2021

प्रस्तुत प्रकरण राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.1(17)रेव-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम व तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खसरा नं0 234 रकबा 38-13-00 बीघा पर अपीलार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा जिसमें आगे चलकर अपीलार्थीगण के पक्ष में 01-10-00 बीघा

भूमि का नामान्तरण सं० 510 दिनांक 30.06.1988 तस्दीक किया गया व उपरोक्त खसरा नं० को खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये गये परन्तु उपरोक्त आराजीयात का अंकन जमाबन्दी में नहीं होने से प्रत्यर्थी सं० 3 जिला कलक्टर अजमेर ने अपने आदेश कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/50 व 51/86/187 दिनांक 22.10.1986 से प्रत्यर्थी सं० 2 नगरपालिका पुष्कर को हस्तान्तरित कर दी। जिलाधीश अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 22.10.1986 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अपीलार्थी अभिभाषक ने मयाद बिन्दु तथा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.1986 को पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण सं० 510 दिनांक 30.06.1988 तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी व्यथित पक्ष की श्रेणी में आता है। राजस्व मण्डल राजस्थान ने न्यायिक दृष्टांत निगरानी टी.ए/2015/2009 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि व्यथित पक्षकार को अपील करने का पूर्ण अधिकार है और मात्र अपील में दर्शा देना कि वह व्यथित है काफी है। उसे पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा. दी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नियमों के अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 96 जा. दी. प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही जा रही है। जिसे स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि जिलाधीश अजमेर द्वारा जारी आंवटन आदेश दिनांक 22.10.1986 की पालना में पूर्व में कभी भी नामान्तरण नगरपालिका पुष्कर के नाम तस्दीक नहीं किया गया। दिनांक 15.05.2002 को प्रत्यर्थी सं० 2 नगर पालिका पुष्कर के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया किन्तु कभी भी अपीलार्थी के कब्जे में प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा दखलन्दाजी नहीं की गई। दिनांक 28.11.2013 को प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की गई तो अपीलार्थीगण ने स्वयं के पक्ष में तस्दीक नामान्तरण का 510 का हवाला दिया। जिसके पश्चात अपीलार्थीगण ने नगर पालिका पुष्कर के पक्ष में जारी रेकार्ड की प्रतियां प्राप्त कर अपील तैयार करवाई जिसके साथ अपीलार्थीगण द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा-5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने

से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नहीं। वह प्रकरण की मेरिट को बिल्कुल नहीं देखेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय 2009 आर.बी.जे. पेज 810 पर यह कानूनी मत व्यक्त किया है। अपीलार्थीगण ने अपने मियाद प्रार्थना पत्र में यह जानकारी प्रदान नहीं की उसे जिला कलक्टर अजमेर के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी किस दिनांक को किस से हुई "Date of knowledge and source of knowledge" प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलार्थीगण के मयाद बिन्दु में कोई संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद निराधार, बेबुनियाद एवं मनघडण्ट होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पॉन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य-मुख्य तर्क दिये कि जिला कलक्टर अजमेर ने अपने आदेश कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/50 व 51/86/187 दिनांक 22.10.1986 न्याय नियम व विधि विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजीयाज अपीलार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त में है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.1986 एकपक्षीय व विधिविरुद्ध है। विवादित भूमि का आंवटन अपीलार्थीगण को आंवटन आदेश मिसल संख्या 1338 दिनांक 03.07.1971 की पालना में किया जाकर नामान्तरण संख्या 510 दिनांक 30.06.1988 तस्दीक किया गया। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आराजीयात 01-10-00 बीघा भूमि पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये किन्तु भू-प्रबन्ध कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान उपरोक्त आंवटन के आधार पर भरे हुये नामान्तरण का इन्द्राज अधिकार अभिलेख में नहीं हुआ। इसके पश्चात् जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 22.10.1986 से नगर पालिका पुष्कर को

हस्तांतरित कर दी गई। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर के स्तर से पश्चावर्ती आंवटन होने से अपीलार्थी की भूमि 01-10-00 बीघा तक काबिल निरस्त योग्य है। जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.11986 पारित कर जो विधिक त्रुटि कारित की है वह निरस्तनीय है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलाधीन का पुराना कब्जा है तथा नामान्तरण सं० 510 दिनांक 30.06.1988 के कॉलम सं० 14 में दर्ज इन्द्राज मिसल सं० 1338 दिनांक 03.07.1971 से भी स्पष्ट होता है तथा इसके आधार पर ही नामान्तरण अपीलार्थीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया है। प्रत्यर्थी सं० 3 जिला कलेक्टर अजमेर के द्वारा बिना कब्जे की जांच किये, बिना कोई आम सूचना प्रकाशित किये, बिना किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये नगरपालिका पुष्कर के पक्ष में हस्तान्तरण आदेश दिनांक 22.10.1986 जारी कर दिया गया है जो अपीलार्थीगण की खातेदारी हक तक निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक अपनी बहस को जारी रखते हुये यह भी कथन किया जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.11986 की प्रति प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न किये गये। जिला कलेक्टर कार्यालय एवं नगर पालिका पुष्कर से उक्त आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। केवल मात्र प्रत्यर्थी सं० 2/नगरपालिका पुष्कर के पक्ष में दर्ज किये गये नामान्तरण सं० 413 दिनांक 15.05.2002 की प्रति प्राप्त हुई जिसमें आंवटन आदेश दिनांक 22.10.1986 को सम्पूर्ण हवाला दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिलाधीश अजमेर द्वारा प्रत्यर्थी सं० 2/नगरपालिका पुष्कर के पक्ष जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.1986 में अपीलार्थी की भूमि की सीमा तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।


अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत व दस्तावेजात प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथा :-

1. राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 382/2010/75 बउनवान गोपालकृष्ण बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर निर्णय दिनांक 07.08.2012
2. राजस्व मण्डल राज अजमेर में प्रस्तुत अपील/एलआर/7215/2013/अजमेर बउनवान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर बनाम गोपालकृष्ण मेलू व अन्य निर्णय दिनांक 21.01.2016।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 3391/2017 बउनवान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर बनाम गोपालकृष्ण मेलू व अन्य निर्णय दिनांक 14.07.2017।
4. डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं० 1576/2017 बउनवान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर बनाम गोपालकृष्ण मेलू व अन्य निर्णय दिनांक 20.11.2017

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिलाधीश अजमेर द्वारा अपीलाधीन

याचिका सं० 3391/2017 में निर्णय दिनांक 14.07.2017 एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं० 1576/2017 बउनवान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पुष्कर बनाम गोपालकृष्ण मेलू व अन्य निर्णय दिनांक 20.11.2017 का सम्मान अवलोकन किया जिसमें दिनांक 22.10.1986 को आदेश पत्रावली व रेकार्ड पर उलब्ध नहीं होने का हवाला देकर पक्षकारान की भूमि तक उक्त आदेश को निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है तथा प्रकरण की अपीलों में भी आदेश को यथावत रखा गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ. 12(सी)/50 व 51/86/187 दिनांक 22.10.1986 को अपीलार्थी की भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरण सं० 510 दिनांक 30.06.1988 अनुसार खसरा नं० 234मिन रकबा 1-10-00 बीघा भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।



(डॉ० वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर